कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति भोपाल

क्रमांक 40434/एम.सी./अराज–5/2024 भोपाल, दिनॉक 20/11/2024

:: विज्ञप्ति ::

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मे कार्यरत/सेवारत कर्मचारियों से संस्था मे प्राप्त अनुमोदित अनुसूची के आधार पर रिक्त पदों पर पदोन्नति/सीधी भर्ती की कार्यवाही की जानी हैं, के संबंध मे वरिष्ठता के आधार पर इच्छुक कर्मचारियों से निम्न रिक्त पदों पर अनुसूची मे लेखांकित योग्यता एवं अनुभव के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। एक से ज्यादा पदों पर पात्रता रखने वाले कर्मचारी पृथक से प्रत्येक पद हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क 1500/– प्रत्येक पद हेतु जो कि ऑनलाईन चालान के माध्यम से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल स्वशासी समिति के खाते मे जमा कराना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22.11.2024 शायं 05.00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। अंतिम तिथि एवं समय उपरांत आवेदन पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी	पदसंख्या	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए
1	2	3	4	5
1	सहायक ग्रेड–1/लेखापाल	कार्यालय अधीक्षक	1	सहायक वर्ग–1/लेखापाल के पद पर 10 वर्ष का कार्यानुभव।
2	सहायक ग्रेड–3/ स्टेनों टायपिस्ट	सहायक ग्रेड–2	12	सहायक ग्रेड–3/स्टेनोआयपिस्टके पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव तथा जो स्टोनोटायपिस्ट, स्टोनोग्राफर के लिये निर्धारित अर्हता (शीघ्रलेखन 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से) पूर्ण नहीं करते है उन्हें भी सहायक वर्ग–2 के पद पर पदोन्नत किया जावें।
3	कैशियर/स्टोर कीपर	लेखापाल/ स्टेटीशियन	6	कैशियर/स्टोर कीपर के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव।
4	सहायक वर्ग–3	कैशियर/स्टोर कीपर	4	सहायक वर्ग–3 के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
5	स्टेनोटायपिस्ट	स्टेनोग्राफर	1	स्टेनोटायपिस्ट के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव एवं मान्यता प्राप्त संस्था स्टेनोग्राफर की परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र।
6	*भृत्य	सहायक वर्ग–3	पदोन्नति पश्चात रिक्त होने की स्थिति मे	भृत्य के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव एवं अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की हो।
7	स्टुवर्ड	डायटीशियन	1 (क्षय चिकित्सालय)	स्टुवर्ड के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव।

टीपः– *भृत्य – सामान्य प्रशासन विभाग क पत्र क्रमांक सी–3–18/1/3/2010 दिनांक 31.08.2010 एवं सी3–8/2013/1/3 दिनांक 01.07.2013 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत भृत्य से सहायक ग्रेड–3 के पद पर पदोन्नति इस शर्त के साथ दी जावेंगी की नियुक्ति उपरांत 02 वर्ष की समयावधि के भीतर सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु निम्नानुसार आर्हता प्राप्त कर ली जावेंगी। इस अवधि मे कोई परीक्षा उत्तीर्ण न किये जाने से परीक्षण अवधि आगामी तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जा

सकेगी किन्तु ऐसे मामले मे कुल परीक्षण अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि 5 वर्ष से परीक्षण अवधि में संबंधित कर्मचारी द्वारा यह योग्यता प्राप्त नहीं की जाती है तो उसे उसकी मूल चतुर्थ श्रेणी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जावेगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस शर्त से छूट प्रदान की जावेगी।

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पात्रोपाधि/प्रमाण–पत्र हो।
2. म.प्र. शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण–पत्र (सी.पी.सी.टी.)।

दिशा निर्देश :–

01. फार्म का प्रारूप, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की बेवसाइट www.gmcbhopal.net पर उपलब्ध है।

02. यह नियुक्ति केवल गांधी चिकित्सा महाविद्यालय मे कार्यरत कर्मचारी एवं संबद्ध चिकित्सालयों (हमीदिया चिकित्सालय, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, क्षय रोग चिकित्सालय) के स्थाई लिपिकिय श्रेणी के कर्मचारियेां के लिए है।

03. आवेदकों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जावेगा।

04. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

05. दस्तावेज सत्यापन में सभी आवेदकों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा, अगर दस्तावेज गलत पाये गये तो आवेदक की जिम्मेदारी स्वंय की होगी।

06. विज्ञप्ति मे किसी प्रकार की आपत्ति होने पर आपत्ती के निराकरण हेतु अपना अभ्यावेदन आपत्ति समिति के समक्ष साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करे। आपत्ति यदि समिती के समक्ष ना प्रस्तुत करते हुवे सीधे न्यायालय या अन्य किसी संवैधानिक संस्था मे जाता है तो उस कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। आपतत्ति समिति के निर्णय से सहमत ना होने पर संबंधित कर्मचारी न्यायालय अथवा अन्य संस्था मे जाने हेतु स्वतंत्र होगा इस संबंध मे कार्यालय को सूचित करते हुवे कार्यवाही करे। जिससे शासन के कार्यो मे बाधा उत्पन्न ना हो।

07. पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है।

20/11/24

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी भोपाल

f/section 5 (2024)/adv prom 24

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम	:	....
कर्मचारी का नाम	:	....
श्रेणी / संवर्ग	:	....
पदनाम	:	....
जन्म दिनांक	:	....
प्रथम नियुक्ति दिनांक	:	....
पदोन्नत पद जिस पर आवेदन किया जा रहा है	:	....
यदि पदोन्नति हुई है तो पदोन्नत पद का पदनाम एवं दिनांक	:	....
अनुभव	:	....
आधार क्रमांक	:	....
मोबाईल नंबर	:	....

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर आवेदक

....

नोट :– प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन किया जाना होगा।

f/section 5 (2024)/adv prom 24